राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
An ISO 9001:2008 Certified Agency

आदेश सं०:SHSB/GA/HR/3172/2018/…………… पटना, **दिनांकः** ………/01/2019

-: आदेश :-

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत Certificate Course for Community Health के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा के अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरान्त उक्त कोर्स में नामांकन लिया गया। इनमें से 13 नये अभ्यर्थियों ने उक्त Certificate Course में IGNOU द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर ली गयी है। उक्त उत्तीर्ण 13 अभ्यर्थियों को Community Health Officer (CHO) के रूप में विज्ञापित ToR में निर्धारित मानदेय (₹25,000 - 40,000) प्रतिमाह पर निम्नानुसार उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित Health & Wellness Centre में पदस्थापन किया जाता है:-

Sl. No	Enrolment No. (IGNOU)	Name	Date of Birth	Name of Health & Wellness Centre place of Posting
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	183783009	SHAHID AKHTER	25 Feb 1986	APHC, Kamrauli, Piprahi, Sheohar
2.	183782970	PANKAJ KUMAR	30 Mar 1989	APHC, Khuntha, Barhiya, Lakhisarai
3.	183782877	PRAVEEN KUMAR	31 Aug 1990	APHC, Dariyapur, Block - Shakund, Bhagalpur
4.	183783070	SUDHA KUMARI	05 Jan 1978	APHC, Odhnpur, Sadar Block, Nawada.
5.	183782931	RAKESH RAUSHAN	19 Nov 1985	APHC, Narha Panapur, Block - Tetariya, East Champaran
6.	183782891	MUKESH KUMAR	01 Apr 1979	APHC, Kathwaliya, Block - Kalyanpur, East Champaran
7.	183783220	NITESH KUMAR MISHRA	13 Jan 1987	APHC, Narendrapur, Ziradei, Siwan
8.	183783198	MD MUSTAJAB ALAM	12 Dec 1988	APHC, Pipra, PHC, Areraj, East Champaran
9.	183783141	SANTOSH KUMAR	20 Dec 1986	APHC, Koini, Block - Manjha, Gopalganj
10.	183783134	LAXMI NARAYAN KUMAR	21 May 1989	APHC, Uchkaganv, Block - Mirganj, Gopalganj
11.	183783087	CHHOTE LAL RAM	31 Dec 1980	APHC, Nayagawn, Sonepur, Saran
12.	183783048	SUJEET KUMAR	02 May 1982	APHC, Madarpur, Lakrinaviganj, Siwan
13.	183783252	MD. QUMRUZZAMA	02 Feb 1987	APHC, Rajepur, PHC-Mehsi, East Champaran.

2. उपर्युक्त सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि:-

i. **दिनांक 11/02/2019 तक** उपरोक्त चिकित्सक अपने नाम के सामने स्तंभ-5 में अंकित पदस्थापन Health & Wellness Centre में अपना योगदान देना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि तक योगदान नहीं देने की स्थिति में अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकती है।

ii. योगदान के पश्चात् एकरारनामा करने के लिए 1,000/- रुपये का Non Judicial स्टाम्प पेपर, NOC (यदि लागू हो, तो) एवं स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र (जो सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के स्तर से निर्गत हो) के साथ, स्वयं **दिनांक 12/02/2019 तक**, सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष उपस्थित होंगे, ताकि जिला स्तर पर पदस्थापित जिला स्वास्थ्य समिति के साथ उनका एकरारनामा सम्पन्न हो सके।

iii. यदि सरकारी सेवा में हैं या किसी अन्य संस्थान में कार्यरत हैं अथवा अनुबंध पर कार्यरत हैं, तो उन्हें अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा उनके नियोजन का दावा रद्द कर दिया जाएगा।

iv. यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर 11 (ग्यारह) माह के लिए किया जायगा। नवनियोजित अभ्यर्थियों के संतोषप्रद कार्य के आधार पर अगले 03 (तीन) वर्ष तक या पदों की स्वीकृति, राशि की उपलब्धता होने तक (इनमें से जो भी पहले हो) अथवा सक्षम स्तर से निर्णय के अनुरूप संविदा अवधि का विस्तार राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के स्तर से किया जा सकेगा।

v. चयनित अभ्यर्थियों का नियमितीकरण अथवा पुनर्नियोजन हेतु कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

vi. पदस्थापन जिला में योगदान करने एवं प्रभार ग्रहण करने अथवा एकरारनामा करने हेतु जिला स्वास्थ्य समिति आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

vii. सभी संबंधित नवचयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। यह संविदागत नियोजन उक्त सत्यापन/जाँच प्रतिवेदन के फलाफल से प्रभावित होगा।

viii. उपरोक्त का नियोजन इस शर्त पर किया जाता है कि यदि उनके पूर्ववृत्त का सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तथा प्रमाण-पत्रों एवं अभिलेखों के जाँच के क्रम में गलत सूचना पायी जायगी, तो उनका नियोजन बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायगा एवं उनके विरूद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।

ix. सभी नवनियोजित अभ्यर्थियों को निर्धारित एकमुश्त मानदेय/प्रतिमाह का भुगतान FMR code-8.1.12.1 & 8.1.12.2 के तहत संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति/स्वास्थ्य संस्थान से किया जाएगा।

3. सभी संबंधित सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, नवचयनित अभ्यर्थियों के योगदान के तुरंत बाद, उनसे कार्य लेना प्रारंभ करें, ताकि जनहित में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा सके। उक्त अनुपालन की सूचना अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/-
(लोकेश कुमार सिंह)

ज्ञापांक : 7450 *पटना, दिनांक:* 29 /01/2019

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, स्वास्थ्य-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को कृपया सूचनार्थ।

प्रतिलिपिः सभी संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः प्रशासी पदाधिकारी/सभी उप सचिव/अपर निदेशक (वित्त)/वित्त प्रबंधक/राज्य कार्यक्रम प्रबंधक/राज्य लेखा प्रबंधक/राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (H&WC), (AYUSH), (RBSK), राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः सिस्टम एनालिस्ट-सह-डाटा ऑफिसर, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं समिति के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः सभी संबंधित Community Health Officers को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

कार्यपालक निदेशक-सह-
सचिव, स्वास्थ्य विभाग

28/1/19